श्री स्वर्ण सिंह : यह बात ठीक है कि उनका हाई कमीशन लंदन और एम्बैसी, पेरिस के साथ सम्बन्ध रहा है और . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हीं के महमान रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : महमान तो मैं नहीं कह सकता हूं । लेकिन उन से मेल जोल और उनकी तरफ से इतंजाम वगैरह रहे हैं यह बहुत ही गैर-वाजिब है । क्या कुछ प्रेस कांफ्रेंस में कहा उसकी पूरी तफसील का तो पता नहीं है . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : पता नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सारी प्रेस कान्फ्रेंस की जो प्रेस रिपोर्ट आई है वह हमारे पास है। उन्होंने वहां जो काश्मीर के बारे में कहा वह ऐसा है जैसा वह यहां कहते थे । न यहां के उनके बयान हमें पसन्द हैं और न वहां के पसन्द हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रुपया जो वहां इकट्ठा किया गया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : रुपये का हमें इल्म नहीं है जो वहां से दिया गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय—

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा निवेदन आप सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप अब रुकावट न डालें ।

श्री रामेश्वरानन्द : अब्दुल्ला को जानते हुए भी जो इतना रुपया उसको दिया गया, भारत की निर्धन जनता का इतना रुपया उनको बहाने के लिए दिया गया, उसका क्या मतलब है ? कैसे आपको इस तरह से रुपया देने का अख्त्यार था ?

12.31½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT, POSTS AND TELEGRAPHS, 1965 ETC.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Audit Report, Posts and Telegraphs, 1965, under article 151(1) of the Constitution.

[*Placed in Library, see* No. LT-4103/65].

(ii) Appropriation Accounts, Posts and Telegraphs, 1963-64.

[*Placed in Library, see* No. LT-4104/65].

PETROLEUM AND NATURAL GAS (AMENDMENT) RULES

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): I beg to lay on the Table a copy of the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 339 dated the 6th March, 1965, under section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.

[*Placed in Library, see* No. LT-4095|65].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951.—

(i) The All India Services (Provident Fund) Amendment